न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 43/2023

अनवान : –

1. जयसिंह पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः– 5/3/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 155/157 की कुल 2.5290 हैक्ट व खाता संख्या 156/158 की कुल 9. 3330 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 260/260 की कुल 8. 7380 हैक्ट भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम क्रमश जयसिंह पुत्र पूर्ण व जयसिंह पुत्र पूर्णमल तथा प्रार्थी के पिता का नाम पूर्ण दर्ज है जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में जयसिंह पुत्र पूर्णराम तथा प्रार्थी के पिता का नाम मुताबिक दस्तावेजों पूर्णराम दर्ज है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में वल्दीयत जयसिंह पुत्र पूर्ण व जयसिंह पुत्र पूर्णमल के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र पुर्णराम तथा अपने पिता का नाम पूर्ण के स्थान पर पुर्णराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम सही तस्लीम कर लेवे कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 पैराकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की सही वल्दीयत जयसिंह पुत्र पुर्णराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में पूर्ण दर्ज हो गया प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही वल्दीयत जयसिंह पुत्र पुर्णराम व अपने पिता का नाम पुर्णराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 155/157 की कुल 2.5290 हैक्ट व खाता संख्या 156/158 की कुल 9.3330 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 260/260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के स्थान पर जयसिंह पुत्र पुर्णराम तथा अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में पुर्ण के स्थान पर पुर्णराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र पुर्णराम व प्रार्थी के पिता का नाम मुताबिक पहचान पत्र पुर्णराम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 155/157 की कुल 2.5290 हैक्ट व खाता संख्या 156/158 की कुल 9.3330 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **कमश जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के स्थान पर जयसिंह पुत्र पुर्णराम का तथा रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 260/260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी के पिता का नाम पूर्ण के स्थान पर पुर्णराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर न[illegible]क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 245 दिनांक : 07/03/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 43 / 2023 अनवानी जयसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 43 / 2023

अनवान : —

1. जयसिंह पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 155 / 157 की कुल 2.5290 हैक्ट व खाता संख्या 156 / 158 की कुल 9.3330 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **कमश जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के स्थान पर जयसिंह पुत्र पुर्णराम का तथा रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 260 / 260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी के पिता का नाम पूर्ण के स्थान पर पुर्णराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र पुर्ण व जयसिंह पुत्र पुर्णमल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:52 IST
Reason: SelfAttested